न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 106/2024(GCMS : 2024/147)

यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, वार्ड नं 24/16, आजाद चौक, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर, राजस्थान– 335804

बनाम

1. **राजकुमार नागपाल** पुत्र श्री मक्खन लाल नागपाल पता प्लॉट नम्बर 60, वार्ड नं. 04 पुराना, नया 16, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान–335804
2. **जगदीश राज नागपाल** पुत्र श्री मक्खन लाल पता वार्ड नं. 11, गऊशाला के पास, सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर राजस्थान – 335804

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

05.08.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री कमल कुमार ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण राजकुमार नागपाल एवं जगदीश राय नागपाल को ऋण सुविधा के रूप में 13.00/– लाख रूपये ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 27.12.17 को प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 12.09.2023 को 10,53,608/– रूपये की राशि बकाया थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी राजकुमार नागपाल द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति आवासीय भूखण्ड संख्या 60, वार्ड नं. 16 (क्षेत्रफल 1200 वर्गफुट), गौशाला के पास, सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान–335804 में स्थित एवं निर्मित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सम्मिलित है,जो सम्पत्ति का अभिन्न अंग है। उक्त सम्पत्ति के उत्तर में मलिक का मकान, दक्षिण में जगदीश का मकान, पूर्व में रोड़ एवं पश्चिम में सुधीर का मकान है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.05 16:53:13 IST
Reason: Self-Attested

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उसके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण राजकुमार नागपाल एवं जगदीश राय नागपाल** को ऋण सुविधा के रूप में 13.00/— लाख रूपये **(अखये रूपये तेरह लाख मात्र) की स्वीकृति दिनांक 27.12.2017 को प्रदान की थी और** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी राजकुमान नागपाल ने अपनी अचल सम्पत्ति **आवासीय भूखण्ड संख्या 60, वार्ड नं. 16 (क्षेत्रफल 1200 वर्गफुट), गौशाला के पास, सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान—335804 में स्थित एवं निर्मित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सम्मिलित है,जो सम्पत्ति का अभिन्न अंग है। उक्त सम्पत्ति के उत्तर में मलिक का मकान, दक्षिण में जगदीश का मकान, पूर्व में रोड़ एवं पश्चिम में सुधीर का मकान है,** प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 23.08.2023 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये थे, रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की रसीद एवं प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक भी पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस के प्राप्त हो गये है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.05 16:53:13 IST
Reason: Self Attested

जहां तक ऋण की एवज में अप्रार्थी राजकुमार नागपाल की अचल सम्पत्ति आवासीय भूखण्ड संख्या 60, वार्ड नं. 16 (क्षेत्रफल 1200 वर्गफुट), गौशाला के पास, सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर, **राजस्थान—335804 में स्थित एवं निर्मित है जिसमें भूमि,**

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

भवन एवं ढांचा आदि सम्मिलित है,जो सम्पत्ति का अभिन्न अंग है। उक्त सम्पत्ति के उत्तर में मलिक का मकान, दक्षिण में जगदीश का मकान, पूर्व में रोड़ एवं पश्चिम में सुधीर का मकान है, जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 30.12.2023 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 30.12.2023 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस, अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 12.01.2024 को भिजवाये गये थे, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक भी पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को 13(2) के नोटिस प्राप्त हो गए है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी राजकुमार नागपाल द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी राजकुमार नागपाल द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से [illegible]ण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति आवासीय [illegible] 60, वार्ड नं. 16 (क्षेत्रफल 1200 वर्गफुट), गौशाला के पास, सूरतगढ़, जिला श्री[illegible]गानगर, राजस्थान–335804 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.05 16:53:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

स्थित एवं निर्मित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सम्मिलित है,जो सम्पत्ति का अभिन्न अंग है। उक्त सम्पत्ति के उत्तर में मलिक का मकान, दक्षिण में जगदीश का मकान, पूर्व में रोड़ एवं पश्चिम में सुधीर का मकान है, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 05.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकबंधु)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.05 16:53:13 IST
Reason: SelfAttested